<u>निविदा से सम्बन्धित नियम एवं शर्तें</u>

(1) निविदा सीलबन्द लिफाफे में जमा करें।

(2) वाहन की बिक्री जहाँ है जैसी है की अवस्था में ही की जायेगी। बिक्री के पश्चात किसी भी प्रकार की मरमम्त या सुधार की कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(3) निविदा डालने के इच्छुक व्यक्ति निविदा की अंतिम तिथि तक **सोमवार से शुक्रवार प्रातः 11:00 बजे से सायं 3:30 बजे** तक वाहन को देख सकते हैं। इसके लिए महाविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है। निविदा जमा करने के बाद अथवा निविदा स्वीकृत हो जाने के बाद वाहन की किसी भी प्रकार की जाँच अथवा पुनः निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(4) वाहन का न्यूनतम आरक्षित मूल्य **रू0 500000/— (पाँच लाख रूपये मात्र)** है। इस न्यूनतम आरक्षित मूल्य से या इससे अधिक की बोली मूल्य वाले निविदा पत्र स्वीकार्य किए जाएंगे।

(5) निविदाओं को सीलबन्द लिफाफे में जिसके ऊपर यह अंकित हो कि ''महेन्द्रा बस'' पंजीकरण संख्या **UP 65 CT 9861** हेतु निविदा लिखे। सभी निविदायें महाविद्यालय के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा अथवा प्रशासनिक अधिकारी के पास जमा किया जा सकता है। निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि **20.05.2022 (शुक्रवार)** है।

(6) क्रेता अपने फोटो निविदा फार्म में चिपकाये एवं आई0 डी0 (ड्राईविंग लाईसेन्स, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र) संलग्न करें।

(7) डाक विभाग द्वारा हुए विलम्ब के लिए महाविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

(8) सभी निविदायें दिनांक **21.05.2022 तारीख को प्रातः 11:00 बजे** खोला जायेगा। किसी भी प्रकार की निविदा डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से अन्तिम तिथि समाप्त हो जाने के बाद स्वीकार नहीं की जायेगी। निश्चित अवधि एवं तिथि के अन्दर अप्रतिदेय निविदा शुल्क एवं पेशगी धन जमा **(E.M.D.)** के साथ जमा की गयी निविदाओं को ही वैध माना जायेगा। यदि किसी अपरिहार्य कारणों से अथवा अवकाश घोशित होने की स्थिति में निविदा की तिथि अगली कार्य तिथि को उसी समय पर होगा।

(9) जो भी निविदा सभी रूप से पूर्ण होगी तथा वाहन की ब्रिकी हेतु योग्य होगी उसी को प्राथमिकता दी जायेगी। जिन निवेदकों के निविदायें स्वीकृत नहीं होगी उनकी पेशगी धन जमा **(E.M.D.)** 30 दिनों के अन्दर ब्रिकी की प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद वापस कर दी जायेगी।

(10) निविदा पत्र के साथ अप्रतिदेय निविदा शुल्क रू0 500/— (पाँच सौ रूपये मात्र) एवं पेशगी धन जमा के रूप में **रू0 10000/— (दस हजार रूपये मात्र)** का डिमाण्ड ड्राफ्ट **KFI Vasanta College General Section** जो कि वाराणसी में देय हो संलग्न करना आवश्यक है। निविदा शुल्क एवं पेशगी धन जमा **(E.M.D.)** के बिना निविदा पत्र निरस्त कर दी जाएगी।

(11) निविदा पत्र में लिखित बोली मूल्य **(Bid Value)** शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। शब्दों एवं अंकों में लिखित मूल्य **(Bid Value)** में अन्तर होने कि स्थिति में शब्दों के लिखे बोली मूल्य को ही स्वीकार किया जाएगा। सरकार द्वारा तय की गई सम्बन्धित कर एवं सेवाएँ **(Tax & Duties)** क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा।

(12) जिस भी निवेदक के निविदा का मूल्य सर्वोच्च होगा उसी निवेदक को योग्य माना जायेगा और उन्हें वाहन ब्रिकी की सूचना मिलने के 7 दिनों के अन्दर सम्पूर्ण धनराशि महाविद्यालय के खाते में बचत खाता संख्या **383502010135636 IFSC Code: UBIN0538353, Union Bank of India Rajghat, Varanasi** अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में **KFI Vasanta College General Section** के नाम पर आहरित हो और जो कि वाराणसी में देय हो देना होगा। यदि निवेदक 7 दिनों के अन्दर सम्पूर्ण धनराशि नहीं जमा करता है तो उनकी जमा धनराशि जब्त कर दी जायेगी। उस स्थिति में अगले सर्वोच्च निवेदक को योग्य माना जाएगा।

(13) क्रेता को पूर्ण भुगतान करने के 3 दिनों के अन्दर वाहन को महाविद्यालय परिसर से हर हाल में ले जाना होगा अन्यथा **रू0 500/–** प्रतिदिन के हिसाब से किराया देना होगा।

(14) सर्वाधिक मूल्य के निविदा वाले आवेदक के नाम तथा पते पर ही वाहन का निस्तारण होगा। यदि निवेदक किसी संस्था या प्रतिष्ठान से सम्बन्ध रखता है तो उससे सम्बन्धित संस्थान द्वारा दिया गया अधिकृत पत्र ही मान्य होगा।

(15) निवेदकों द्वारा निविदा पर दिये गये पते को ही पत्र व्यवहार का पता माना जायेगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। वाहन की ब्रिकी के पश्चात महाविद्यालय वाहन के किसी भी प्रकार की क्षति या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(16) वसन्त महिला महाविद्यालय का प्रबन्धन के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकता है तथा उक्त वाहन को निलामी की प्रक्रिया से हटा भी सकता है। महाविद्यालय के निर्णय को अन्तिम निर्णय माना जायेगा।